



न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 62/बी-121/2014-15

: आदेश ::

( आज दिनांक 28/08/2015 को पारित किया गया )

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 17.06.2015 को ग्राम बडी खटटाली तहसील जोबट में सड़क दुर्घटना(मोटरसाईकिल) में मुकाम पिता वेस्ता जाति भिलाला निवासी घटवानी तहसील अलीराजपुर की मृत्यु हो गई थी। जिसमें उसके निकटतम वारिश वेस्ता पिता भुरला जाति भिलाला निवासी ग्राम घटवानी को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के निकटतम वारिश वेस्ता पिता भुरला जाति भिलाला निवासी ग्राम घटवानी तहसील जोबट को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 16/02/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15000/- (पंद्रह हजार रुपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)  
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 754 / रीडर / 2015  
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक..... 28/8/2015

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर । (संलग्न बैंक खाता की छायाप्रति)
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 5 तहसीलदार तहसील जोबट ।
- 6 संबंधित वेस्ता पिता भुरला जाति भिलाला निवासी ग्राम घटवानी तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

Nic Dio Sir  
LWML